(809) (185)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी 257-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA TWENTY RUPEES
विलोपित/विलोपित

Rs. 201-

1. राजप्रताप उर्फ मुनाई प्रसाद ब्रा0 तनय स्वर्गीय हीरालाल ब्रा0 पेशा– खेती,
2. चन्द्रप्रताप तनय स्वर्गीय हीरालाल ब्रा0, पेशा– खेती,
3. मुसम्मात फूलकुमारी विधवा पत्नी गिरिजा राम ब्रा0, पेशा– खेती,
4. घनश्याम प्रसाद तनय स्व0 गिरिजा राम ब्रा0, पेशा– खेती,
5. लक्ष्मीकान्त तनय स्व0 गिरिजा राम ब्रा0, पेशा– खेती,
6. रमा तनय स्व0 गिरिजा राम ब्रा0, पेशा– खेती,
7. मानिन्द प्रसाद तनय स्व0 गिरिजा राम ब्रा0, पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– बरहट, थाना– चितरंगी, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

———— आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती रजकलिया विधवा पत्नी बैजनाथ राम ब्रा0, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– बरहट, थाना– चितरंगी, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

———— अनावेदकगण

क्रमांक 4395
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार चितरंगी, जिला– सिंगरौली राजस्व प्रकरण क्रमांक– 184/अ–19(4)/1986–87 आदेश दिनांक– 07.05.1987 जिसके द्वारा ग्राम– बरहट, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली स्थित वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नंबर– 156/1 के जुज रकवा 2.023 है0 का आवंटन अनावेदिका क्रमांक– 1 के पक्ष में स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया गया है। पुनरीक्षण अन्तर्गत म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग

राजप्रताप

(185)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.257-III/15 जिला सिंगरौली

राज प्रताप उर्फ मुन्नई प्रसाद विरूद्ध राजकलिया बाई

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 184/अ-19(4)/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 07.05.1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25.03.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	